

पूर्व मध्य रेल

महाप्रबंधक (परिचालन) का कार्यालय  
हाजीपुर.

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505,

दिनांक- 13.06.2023

वरीय मण्डल परिचालन प्रबंधक

पूर्व मध्य रेल

धनबाद, दानापुर, डीडीयू, सोनपुर, समस्तीपुर।

विषय- रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) दिनांक 10.06.2023 का हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल)।

रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) दिनांक 10.06.2023 का हिन्दी संस्करण (एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल) प्रेषित की जा रही है जिसे सर्व संबंधित को मुहैया तथा इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव को PCOM महोदय के सूचनार्थ।
2. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण को सूचनार्थ।
3. प्राचार्य ZRTI/MFP & Bhuli

राजपति  
13/6/23  
(राजपति झा)

उप मुख्य परिचालन प्रबंधक/सामान्य  
हाजीपुर।

रेलवे बोर्ड के संयुक्त कार्यविधि आदेश (जे.पी.ओ.) का हिन्दी संस्करण  
- एस एंड टी गियर्स के लिए डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल।

रख-रखाव/मरम्मत या सिग्नल की खराबी या अन्यथा ठीक करने के लिए आईआरएसईएम और जीआर के प्रावधानों के तहत एस एंड टी गियर डिस्कनेक्ट/पुनः कनेक्ट किए जाने पर निम्नलिखित निर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाना चाहिए।

**1. रिले रूम की लॉकिंग व्यवस्था-**

1.1 रिले रूम को डबल लॉक के साथ प्रदान किया जाना चाहिए और आईआरएसईएम के पैरा 21.2.2 के अनुसार डेटा लॉगर के माध्यम से दरवाजा खोलने की निगरानी की जानी चाहिए। इसमें स्टेशन यार्ड में स्थित सिग्नलिंग गियर के लिए स्टेशन रिले रूम के विस्तार के रूप में प्रदान किए गए सभी रिले रूम, रिले हट्स, गुमटी और केबिन में डबल लॉक का प्रावधान शामिल है।

1.2 समपार फाटकों और प्वाइंट/ट्रैक सर्किट सिग्नल के स्टेशन सीमा के भीतर सभी समपार फाटक रिले हट्स/गुमटी में डबल लॉकिंग व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

1.3 स्टेशन यार्ड में गेट गुमटी/केबिन में स्थित S&T उपकरणों को रिले हट के रूप में माना जाना चाहिए।

1.4 डबल लॉकिंग की व्यवस्था होने तक रिले हट/गुमटी/केबिन के सिंगल लॉक की चाबी स्टेशन मास्टर (एसएम) के पास होनी चाहिए। स्टेशन रिले रूम की तरह ही स्टेशन मास्टर द्वारा चाबी जारी करने और जमा करने के संबंध में प्रासंगिक प्रविष्टियां रखी जानी चाहिए। एसएम द्वारा इयूटी पर चाबी सौंपने/वापस लेने के लिए प्रोफार्मा में एक कॉलम होगा जिसमें यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि जिस स्थान के लिए रखरखाव कर्मचारियों द्वारा चाबी ली गई थी, उसे ठीक से बंद कर दिया गया है और रखरखाव कर्मचारियों द्वारा ताला लगा दिया गया है।

1.5 प्रतिष्ठित मेक/डिजिटल तालें आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाना चाहिए।

**2. सिग्नल उपकरणों का विच्छेदन/पुनः संयोजन**

2.1 वैध योग्यता प्रमाण पत्र के साथ अधिकृत कर्मियों द्वारा IRSEM और GR में निहित प्रावधानों के अनुसार सिग्नल रखरखाव, मरम्मत/परिवर्तन कार्यों के लिए उचित डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए।

2.2 जब रखरखाव और मरम्मत करने के लिए एसएम द्वारा डिस्कनेक्शन की अनुमति दी जाती है, तो यह आईआरएसईएम के पैरा 3.8.4 (बी) के अनुलग्नक: 3-ए10 में निर्धारित उचित डिस्कनेक्शन/रिकनेक्शन नोटिस फॉर्म पर होना चाहिए।

2.3 काम पूरा होने के बाद, एक बार स्टेशन मास्टर द्वारा कनेक्शन स्वीकार कर लेने के बाद, मेन लाइन पर पास होने वाली पहली ट्रेन के साथ निम्नानुसार व्यवहार जाना चाहिए:

(ए) आगमन सिग्नल को आफ नहीं किया जाएगा और पहली ट्रेन को फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर रोका जाएगा।

(बी) पैनल/वीडियू पर प्रासंगिक संकेतों को देखकर ट्रेन के बर्थिंग हिस्से पर कब्जा करने के बाद ही ट्रेनों के लिए प्रस्थान संकेत को हटाया जाना चाहिए।

(सी) ये सभी अप और डाउन दिशा की ट्रेनों के लिए लागू होगा चाहिए।

(डी) इन निर्देशों का अपवाद उन स्टेशनों के मामले में होगा जहां बढ़ते ढाल या साइट की स्थिति के कारण भार को रोकने से बचने के लिए आगमन और प्रस्थान सिग्नल आन स्थिति में रखे जाते हैं। इन ट्रेनों को प्रस्थान सिग्नल को चालू रखते हुए प्रतिबंधित गति से यार्ड में प्रवेश करने के लिए कार्यकारी नियमों में आवश्यक निर्देश शामिल किए जा सकते हैं।

2.4 रिले रूम में बदलाव का काम ट्रैफिक ब्लॉक/नॉन इंटरलॉकिंग के दौरान ही किया जाना चाहिए।

2.5 गियर के डिस्कनेक्शन/रीकनेक्शन की स्थिति को दैनिक आधार पर संयुक्त रूप से सिग्नल कंट्रोल और ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा मंडल नियंत्रण कार्यालय में मिलान किया जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो डेटा लॉगर से इसकी पुष्टि की जानी चाहिए।

3. ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एसएसई/सिग्नल द्वारा बिना देर किए संयुक्त परामर्श किया जाना चाहिए ताकि नए पैनल योग्यता प्रमाण पत्र जारी करने सहित पैनल/वीडियू से जुड़े सभी कर्मचारियों को संवेदनशील बनाया जा सके। काउंसलिंग/री-सर्टिफिकेशन अगले 15 दिनों के भीतर पूरा हो जाना चाहिए।

4. सीनियर डीएसटीई और सीनियर डीओएम द्वारा मंडल स्तर पर जहां एलसी गेट और प्वाइंट/सिग्नल एक ही रिले हट/गुमटी में हैं वहां रिले हट की सूची जारी की जानी चाहिए और मंडल पर कार्यान्वयन के लिए सभी के संज्ञान में लाई जानी चाहिए। स्थान के किसी भी नए जोड़/विलोपन को वरिष्ठ डीएसटीई द्वारा अद्यतन किया जाएगा और सीनियर डीएसटीई और सीनियर डीओएम द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र पर्यवेक्षकों के लिए अधिसूचित किया जाएगा।

संख्या- ईसीआर/परि.संरक्षा/जे.पी.ओ./46/505,

दिनांक- 13.06.2023